

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/55/2015

तारीख रजु 02.07.2015

उनवान

1. भरतलाल पुत्र श्री रामधन जाति गुर्जर तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----सायल

बनाम

1. कैलाशी पुत्र चैंटा वगै0 जाति गुर्जर निवासी अलीपुरा तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----गैरसायलान 05

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 11.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 785,786,848,849,850,851,881,882,883,884,1008,1033,1034,2338 / 1009,2340 / 1020,894, 778,885,228,236,237,903,904,915,916,934,2372 / 893,2374 / 902,894,895,896,897,898,8 99,901905,906,907,908,909,910,921,922,923,924,734,735,736,737,738,755,756,900,908 / 2249,911,912,913,915 / 2269,932,937,938, 939,940,941 के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सायल वकील को कई बार तलवी के अवसर दिये गये। पत्रावली दिनांक 11.12.2019 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 55/2015 श्री भरतलाल बनाम कैलाशी वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी जिला करौली

